न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/117

1. रामफूल आत्मज पोखर जी जाति गुजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. रामरतन आत्मज पोखर जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. भंवरलाल आत्मज पोखर जी जाति गूजर मृतक जरिये कायम मुकामान–
   - 3/1. रामलाल आत्मज स्व० भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   - 3/2. धनराज आत्मज स्व० भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   - 3/3. जुगराज आत्मज स्व० भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   - 3/4. जोधराज आत्मज स्व० भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   - 3/5. राम बाई पुत्री स्व० भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
   - 3/6. काली बाई बेवा भंवरलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
4. मूर्ति बाई पत्नी रामरतन जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी

——अपीलान्ट

बनाम

1. हजारीलाल आत्मज कालूलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. नटटी बाई पत्नी हजारीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. बलवन्त सिंह आत्मज जगतारसिंह जाति जटसिक्ख निवासी जैथल तहसील के पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
4. मलकीत सिंह आत्मज जगतारसिंह जाति जटसिक्ख निवासी जैथल तहसील के०पाटन जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. लटूर आत्मज खाना जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. छीतर आत्मज खाना जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
7. शोजी आत्मज खाना जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
8. मोजीराम आत्मज खाना जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी

9. मांगी बाई बेवा खाना जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
10.सीता पुत्री खाना जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
11.कालू आत्मज कल्याण जी जाति गूजर निवासी ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी
12.भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवां जिला बून्दी

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01, 02, 11 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.09.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 2015/180 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चौडा करने व रास्ता बहाल करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया कि ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 92 के खसरा संख्या 112 रकबा 3 बीघा कृषि भूमि स्थित है। ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 113 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा खसरा संख्या 114 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 37 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा खसरा संख्या 68 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा संख्या 67 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खसरा संख्या 68 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 111 रकबा 7 बीघा 9 बिसवा, खसरा संख्या 152 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 28 बीघा 11 विस्ता कृषि भूमि स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि हैं तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी की पत्नी हैं के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि हैं तथा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि हैं जिसमे वादी के पिता का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर वादी काबिज काश्त हैं तथा संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से काबिज काश्त होकर खेती कार्य करता चला आ रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता देई से वृन्दी जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर खसरा संख्या 116 जो कि सिवायचक भूमि हैं मे होता हुआ खसरा संख्या 115 व खसरा संख्या 117 के बीच की मेड पर होता हुआ वादी की भूमि में जाता है जो करीबन 10 फिट

चौड़ा हैं जिसमे होकर वादी अपने ट्रेक्टर, बेलगाटी, हल कुली आदि लेकर वर्षों से आवागमन कर रहा है और रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त कर चुका हैं। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' मे लाल स्याही से बता रखा हैं इस रास्ते के अलावा वादी के खेतो मे आने जाने का कोई दुसरा रास्ता नहीं हैं परिशिष्ट 'अ' को वाद का अंग माना जायें। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने करीबन 2 माह पूर्व पट्टीयां माडकर तार खिचकर तथा कांटो की बाड करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया वादी ने रास्ता अवरुद्ध नही करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण वादी से गालियां निकालने लगे और कहने लगे की यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं तुम्हारा यहां होकर रास्ता है मगर अब तुम्हे नहीं निकलने देगें और हमने तुम्हारा रास्ता बन्द कर दिया हैं तुम हमारा कुछ भी नही बिगाड़ सकते । प्रतिवादीगण अब वादी को उक्त रास्ते मे होकर आवागमन नही करने दे रहे हैं जिससे वादी का अपने खेतो पर आना जाना दुर्भर हो गया है तथा वादी अपनी कृषि भूमि पर खेती काश्त नही कर सकेगा। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खेतो पर आने जाने का परिशिष्ट 'अ' में वर्णित रास्ते को बन्द कर दिया गया तो वादी का अपने खेतो पर जाना जाना दुर्भर हो जावेगा जिससे वादी अपने खेतो मे खेती काश्त नही कर सकेगा और वादी के परिवार सहित भुखे मरने की नोबत आ जावेगी और वादी सही रूप मे भूमि का उपयोग उपभोग नही कर सकेगा जिससे वादी को महान व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन नकद के रूप मे कदापि सम्भव नही होगा। परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित रास्ता खसरा संख्या 116 मे होकर निकल रहा है तथा खसरा संख्या 116 रिकार्ड आफ जमाबन्दी के अनुसार सिवायचक दर्ज हैं, जिस पर अतिक्रमण कर प्रतिवादीगण ने वादी के खेतो पर आने जाने के रास्ते को बन्द किया हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं साथ ही सिवायचक भूमि से प्रतिवादीगण का अतिक्रमण भी हटाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी के खेतो पर जाने वाले रास्ते अर्थात वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा आज से करीबन 2 माह पूर्व बन्द किये जाने के बाद वादी ने राजस्व अधिकारियों व ग्राम पंचायत को उक्त रास्ते को बहाल करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये लेकिन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही होने से वादी को मजबूरन श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादी को अधिकार प्राप्त हैं कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 6 व परिशिष्ट 'अ' मे लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करवाये प्रतिवादीगण द्वारा गाडी गई पट्टीयां, तार व कांटो की बाड़ को हटवाये, रास्ते को 30 फिट चोडा करवाये नक्शा ट्रेस तथा अन्य राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जयें स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 वादी के रास्ते पर वादी के हक अधिकार व आवागमन मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही ऐसा किसी अन्य से करवायें। वादी के रास्ते को चौड़ा करने, रास्ता बहाल करने मे जितनी भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की जाती हैं तो उसका युक्त युक्त प्रतिकार जो भी न्यायालय श्रीमान निर्धारित करे अदा करने को तैयार है। प्रतिवादीगण 15 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं जिनके विरुद्ध राजस्व रिकार्ड में अमल के अलावा अन्य को याचना नही चाही गई हैं यदि नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 15 को 2 माह को नोटिस दिया जाता है तो प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जाने वाले रास्ते को पूर्णतया अवरुद्ध कर देगें तथा सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जावेगी जिससे वादी का वाद एत्र पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा इसलिए वादी 80 (2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस से छुट का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। वाद कारण गत 2

माह पूर्व उत्पन्न होकर लगातार बना रहने से वाद अन्दर अवधि प्रस्तुत कर वादी ने इस आशय की डिकी फरमाने का निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 व परिशिष्ट 'अ' मे लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करवाये, प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 द्वारा गाडी पट्टीयां तार व कांटों की बाड को हटवाया जायें। रास्ते को 30 फिट चौड़ा किया जायें, नक्शा ट्रेस व अन्य राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें तथा दादी के रास्ते को चौड़ा करने, बहाल करने में जितनी भूमि प्रतिवादीगण की आती हैं तो उसका युक्त–युक्त प्रतिकार निर्धारित किया जाकर वादी से जमा करवाकर रास्ते को नक्शा ट्रेस मे तरमीग किया जावे। प्रविादीगण 1 लगायत 7 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 वादी के रास्ते पर हक अधिकार व आवश्यकता जनित हक अधिकार के उपयोग उपभोग करने तथा आवागमन में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करवायें। वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जायें। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2022 द्वारा प्रार्थी रेस्पो0 01 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टान की ओर से हसन मियां वकील नियुक्त थे तथा उन्होने प्रत्येक पेशी पर आने हेतु मना किया हुआ था उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 21.03.2022 को हो जाने के पश्चात् भी वकील साहब ने कोई सूचना अपीलान्टान को नहीं दी। रेस्पो० नं० 1 ने अपीलान्टान को दिनांक 15.06.2023 को उनकी भूमि में रास्ता कायम करने व निर्णय हो जाने बाबत कहा इस पर अपीलान्ट नं० 1 वकील साहब के पास उक्त प्रकरण की जानकारी करने आया तो वकील साहब ने डायरी देख कर बताया कि हजारीलाल का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 को स्वीकार हो गया तथा उनके प्रार्थना पत्र का निर्णय अभी नहीं हुआ है और उसमें आगामी पेशी दिनांक 25.

07.2023 नियत है। इस पर अपीलान्ट नं० 1 ने अन्य अपीलान्टान को उसी दिन सूचना दी। इसके पूर्व निर्णय के बाबत कोई जानकारी नहीं थी उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.06.2023 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 23.06.2023 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। जानकारी के दिन व नकल के दिन मुजरा करते हुये अपील अविलम्ब अवधि मध्य पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 21.03.2022 से जानकारी व नकल के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने उपरोक्त तथ्यों पर गौर कर प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाते हुए दिनांक 25.04.1977 से दिनांक 10.02.2021 की देरी को क्षमा करते हुए अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–3–2022 विधि न्याय एवं संविधा में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है।अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पो० नं० 1 का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर० टी० ए० को स्वीकार कर रेस्पो० नं० 1 को उनकी ख0न0 111, 112, 113, 114 की भूमि पर आने हेतु अपीलान्टान की ख0न0 115 व 116 में से रास्ता दिये जाने आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टान को उनकी भूमि ख0न0 109 पर आने जाने हेतु रेस्पो० नं० 1 के खातेदारी की ख0न0 113 व 114 की भूमि की मेड पर बने रास्ते से होकर रहा है और अपीलान्टान आज भी उसी भूमि पर होकर आ जा रहे है व अपने वाहन ट्रेक्टर ट्रोली ला रहे है किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० के खेत ख0न0 111, 112, 113, 114 में जाने का रास्ता अपीलान्टान की भूमि ख0न0 115 व 117 के मध्य में होकर रास्ता कायम करने का आदेश कर, अपीलान्टान को ख0न0 113 व 114 की मेड पर होकर खसरा नम्बर 109 के खेत में जाने का रास्ता कायम नहीं करने में त्रुटि की है। इस कारण पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 के इस कथन पर विश्वास करके कि रेस्पो० नं० 1 के खेत खसरा नम्बर 111, 112, 113, 114 पर आने जाने के लिये अपीलान्टान के खसरा नम्बर 115 व 117 के मध्य में होकर रेस्पो० न० 1 अपने खेत ख0नं0 113, 114 की भूमि पर पहुंचते है, मान कर अपीलान्टान की भूमि ख0न0 125 व 117 की मेड पर 2 गटठा चोडा रास्ता कायम कर दिया। किन्तु अपीलान्टान को उनकी ख0न0 109 की भूमि पर आने जाने हेतु रेस्पो0न0 1 के ख0न0 113 व 114 की मेड पर होकर आते जाते है जिसको रेस्पो० नं० 1 ने अवरुद्ध कर दिया है इस कारण अपीलान्टान को भी ख0न0 109 की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 113 व 114 कीमेड पर होकर 2 गट्ठा चोडा रास्ता कायम करने का आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट रामफूल व भंवरलाल द्वारा रेस्पी० नं० 1 ता 4 के खिलाफ अपनी खातेदारी की ख0न0 109 की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 113 व 114 की मेड पर होकर 2 गट्ठा चोडा रास्ता कायम करने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जो अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखे बिना ही सरसरी तोर पर ख0न0 115 व 117 के मध्य रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया। जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में अपीलान्टान की ख0न0 115 व 117 की भूमि में रास्ता कायम कर लिया तथा रेस्पो० द्वारा अपीलान्टान को उनके

खातेदारी की ख0न0 109 की भूमि में खसरा नम्बर 113 व 114 की मेड पर रास्ता कायम नहीं किया गया व मेड पर होकर आने जाने से रोक दिया गया तो अपीलान्टान अपनी खातेदारी की ख0न0 109 की भूमि पर नहीं आ जा सकेगें तथा इससे अपीलान्टान को अपरिमित क्षति होगी। देव बाई पुत्री हीरालाल पत्नी पोखर का देहावसान हो गया है जिसके वारिसान रिकार्ड पर मोजूद है तथा भंवरलाल आठ पोखर जी का भी देहावसान हो गया है इस कारण उनके वारिसान की ओर से भी अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टान की ओर से हसन मियां वकील नियुक्त थे तथा उन्होने प्रत्येक पेशी पर आने हेतु मना किया हुआ था उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 21.03.2022 को हो जाने के पश्चात् भी वकील साहब ने कोई सूचना अपीलान्टान को नहीं दी। रेस्पो० नं० 1 ने अपीलान्टान को दिनांक 15.06.2023 को उनकी भूमि में रास्ता कायम करने व निर्णय हो जाने बाबत कहा इस पर अपीलान्ट नं० 1 वकील साहब के पास उक्त प्रकरण की जानकारी करने आया तो वकील साहब ने डायरी देख कर बताया कि हजारीलाल का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022 को स्वीकार हो गया तथा उनके प्रार्थना पत्र का निर्णय अभी नहीं हुआ है और उसमें आगामी पेशी दिनांक 25.07.2023 नियत है। इस पर अपीलान्ट नं० 1 ने अन्य अपीलान्टान को उसी दिन सूचना दी। इसके पूर्व निर्णय के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13.06.2023 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 23.06.2023 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई।जानकारी के दिन व नकल के दिन मुजरा करते हुये अपील अविलम्ब अवधि मध्य पेश की जा रही है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2022 निरस्त फरमाया जावे। विकल्प में अपीलान्टान को उनके खातेदारी की भूमि ख0न0 109 में आने जाने हेतु रेस्पो० के खसरा नम्बर 113 व 114 की मध्य मेड पर 2 गट्ठा चोडा रास्ता अपीलान्टान के खेत तक जाने हेतु रास्ता कायम किये जाने व तदनुसार भूमि की कीमत डीएलसी पर जमा करने का व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। साथ ही साथ ख0न0 115 व 117 के मध्य में होकर बनाये जा रहे रास्ते से व खसरा नम्बर 113 व 114 की मध्य मेड़ पर 2 गट्ठा चोडा रास्ता से अपीलान्टान को खेत ख0न0 109 पर जाने हेतु अधिकृत किया जावे । अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 14.04.2011 पेज 233 **pranveer singh v/s state of Raj.** , आर. आर.डी. 14.04.2011 पेज 11 **kailash v/s state of state of raj.** पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता देई से बून्दी जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर खसरा संख्या 116 जो कि सिवायचक भूमि है जिसमें होता हुआ खसरा संख्या 115 व खसरा संख्या 117 के बीच की मेड पर होता हुआ वादी की खातेदारी की भूमि तक जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में जाने हेतु यही एकमात्र रास्ता है तथा इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने अवरूद्ध कर दिया जिस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त की गई । उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारान व मोतबीरान के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 115, 116 व खसरा नम्बर 117 में होने का अंकन है। साथ ही उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का अंकन है। साथ ही उक्त विद्यमान रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा बन्द किये जाने का भी अंकन है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 115, 116 व 117 में विद्यमान होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निर्णय पारित करते हुए खसरा नम्बर 115, 116 व 117 में रास्ता कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हस्तगत निर्णय दिनांक 21.03.2022 का है। अपीलांट की ओर से अपील दिनांक 07.07.2023 को पेश की गई है। हस्तगत अपील 1 वर्ष 3 माह 16 दिन पश्चात पेश की गई है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। हस्तगत प्रकरण में उनकी ओर से प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण तथा निर्णय दिनांक 21.03.2022 की प्रारंभ से ही जानकारी थी। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में दिनांक 15.06.2023 को हस्तगत निर्णय की जानकारी होने का कथन अंकित किया है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। अपील में हुए गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित अनुतोष इस प्रकार है, "अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2022 निरस्त फरमाया जावे। विकल्प में अपीलान्टान को उनके खातेदारी की भूमि ख0न0 109 में आने जाने हेतु रेस्पो0 के खसरा नम्बर 113 व 114 की मध्य मेड पर 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता अपीलान्टान के खेत तक जाने हेतु रास्ता कायम किये जाने व तदनुसार भूमि की कीमत डीएलसी पर जमा करने का तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। साथ ही साथ ख0न0 115 व 117 के मध्य में होकर बनाये जा रहे रास्ते से व खसरा नम्बर 113 व 114 की मध्य मेड पर 2 गट्ठा चोडा रास्ता से अपीलान्टान को खेत ख0न0 109 पर जाने हेतु अधिकृत किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रदान की जावे। अपील का खर्चा रेस्पोडेन्ट से अपीलान्टान को दिलाया जावे।" अपील मेमों में अंकित अपीलांट के कथनों व वांछित अनुतोष से यह प्रतीत होता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–a राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण चाहता है। अपीलांट अपने

खसरा नम्बर 109 पर आने–जाने हेतु रास्ता चाहता है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में भी कथन किया कि वह प्रश्नगत निर्णय दिनांक 21.03.2022 को खारिज करवाना चाहते है क्योंकि इस निर्णय का कियान्वयन नहीं हुआ है तथा इसे रिमाण्ड किये जाने का कथन किया ताकि उन्हें भी खसरा नम्बर 109 पर आने–जाने हेतु रास्ता मिल सके। हमारे मत में अपीलांट अपने कथनों को लेकर स्पष्ट नहीं है। यदि उसे खसरा नम्बर 109 पर आने–जाने हेतु रास्ता चाहिए तो उसका प्रार्थना–पत्र संख्या 37/2022 अभी लम्बित होना बताया है, वह अधीनस्थ न्यायालय में इस सम्बंध में अपना पूर्ण पक्ष रख सकता है। अपील के वर्तमान स्तर पर अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 109 पर आने–जाने का रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या गुणावगुण पर भी हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 2015/180 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा